



कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन का महत्व विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन से अधिक होता है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है जिससे बैंक व्यवसाय सदाचार का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी की सुरक्षा और उसमें वृद्धि करना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों तथा समग्र समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को संपूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा कार्यों के मामले में प्रभावी नेतृत्व तथा व्यावहारिक-ज्ञान प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए सुस्पष्ट रूप से लिखित पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध करना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष, कार्यपालक प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष और निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों

और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बैंक ने उन मामलों को छोड़कर जहाँ खंड 49 के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं, कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है।

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (अधिनियम) से हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं :

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
 - बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी;
 - विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और;
 - बैंक के हितधारकों के लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करना।
- बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। 31 मार्च 2014 को बोर्ड में कुल बारह अन्य निदेशक थे जो निम्नानुसार हैं;
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
 - केंद्र सरकार द्वारा धारा 19(गक) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
 - केंद्र सरकार द्वारा धारा 19 (गख) के अंतर्गत नामित एक निदेशक,
 - केंद्र सरकार द्वारा धारा 19(घ) के अंतर्गत नामित चार निदेशक,
 - केंद्र सरकार द्वारा धारा 19(ङ) के अंतर्गत नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
 - केंद्र सरकार द्वारा धारा 19(च) के अंतर्गत नामित (भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी) एक निदेशक।



इस बोर्ड का गठन सूचीबद्धता व्यवस्था के खंड 49 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीख और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तारीख : 18.04.2013, 23.05.2013, 21.06.2013, 16.07.2013, 12.08.2013, 30.09.2013, 30.10.2013, 13.11.2013, 30.12.2013, 31.01.2014, 14.02.2014, 03.03.2014

श्री एच. जी. कान्फ्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी), श्री ए. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एनबी), श्री एस. विश्वानाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी), श्री एस. वेंकटाचलम, और श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, निदेशक सभी बारह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष (30.09.2013 तक)	06	06
श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य		
(क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (02.08.2013 से 06.10.2013 तक)	02	02
(ख) अध्यक्ष (07.10.2013 से)	06	06
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31.07.2013 तक)	04	04
श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी) (27.12.2013 से)	04	04
श्री डी. सुंदरम्	12	08
श्री पार्थसारथी अच्यंगार	12	05
श्री थोमस मैथ्यू	12	11
श्री ज्योति भूषण महापात्र	12	11
श्री एस. के. मुखर्जी	12	11
डॉ. राजीव कुमार	12	07
श्री दीपक आई. अमिन	12	09
श्री विभूतन नाथ चतुर्वेदी (29.08.2013 से)	07	04
श्री राजीव टकरू	12	05
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	12	04

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान हैं कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष के दौरान, 55 ईसीसीबी बैठकें आयोजित की गईं। एसबीआई विनियम 1955 के अनुसार निर्धारित अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया गया।



वर्ष 2013-14 के दौरान ईंसीसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 55

क्रम सं. निदेशक का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
1 श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष (30.09.2013 तक)	27
2 श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य (क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (02.08.2013 से 06.10.2013 तक) (ख) अध्यक्ष (07.10.2013 से)	09 27
3 श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	46
4 श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31.07.2013 तक)	15
5 श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	48
6 श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) – वैकल्पिक सदस्य	43
7 श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी) (27.12.2013 से)	16
8 श्री एस. वैंकटाचलम	49
9 श्री डी. सुंदरम्	31
10 श्री पार्थसारथी अच्यंगार	06
11 श्री थोमस मैथू	41
12 श्री ज्योति भूषण महापात्र	09
13 श्री एस. के. मुखर्जी	10
14 डॉ. राजीव कुमार	03
15 श्री दीपक आई. अमिन	25
16 श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	22
17 श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (29.08.2013 से)	02
18 श्री राजीव टकरू	-
19 डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	-

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय आठ समितियाँ गठित की हैं। ये हैं : लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, बड़ी राशि (₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति और वसूली निगरानी के लिए बोर्ड समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कागगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं – लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा के कैलेन्डर के आधार पर आवधिक रूप में, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्यविवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन न हो ।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

- (क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भी करती है और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा करती है।
- (ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- (ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर विशेष ध्यान भी देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए – धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एपमपल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- खंड 49 और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन;



■ घोष और जिलानी समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की वस्तु-स्थिति।

- (घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।
- (ङ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाब्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक ओपचारिक 'ऑफिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित अंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की दस बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 10

बैठकों की तारीखें : 17.04.2013, 22.05.2013, 19.07.2013, 10.08.2013, 23.10.2013, 12.11.2013, 27.12.2013, 13.02.2014, 03.03.2014, 18.03.2014

श्री एच. जी. कान्ट्रैक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (आईबी) और श्री एस. वैकटाचलम, निदेशक सभी 10 बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	उन बैठकों की आयोजित संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	10	9
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) – वैकल्पिक सदस्य	-	1
श्री डी. सुंदरम	10	8
श्री थोमस मैथ्यू	10	9
डॉ. राजीव कुमार	10	6
श्री राजीव टकरू	10	1
डॉ. अर्जित आर. पटेल	10	7

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बैठकों का गठन और निर्धारित अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया गया।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम संबंधी समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। इस समिति के आठ सदस्य हैं और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की 31.05.2013, 18.09.2013, 12.12.2013, और 18.03.2014 को चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित आरएमसीबी की बैठकों तिथि और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 31.05.2013, 18.09.2013, 12.12.2013, 18.03.2014,

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	उन बैठकों की आयोजित संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्ट्रैक्टर प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	4	4
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	4	3
श्रीमती अरुंधती भद्राचार्य, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - (वैकल्पिक सदस्य)	-	1
श्री एस. वैकटाचलम	4	4
श्री डी. सुंदरम्	4	4
श्री थोमस मैथ्यू	4	2
डॉ. राजीव कुमार	4	-
श्री दीपक आई. अमिन	4	3
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (29.08.2013 से)	2	-

**बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति**

शेयर बाजारों के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बांडों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) गठन किया गया था। इस समिति के छह सदस्य होते हैं और एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 25.04.2013, 22.07.2013, 23.10.2013 और 03.02.2014 को चार बैठकें हुईं जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित एसआईजीसीबी की बैठकों तिथि और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 25.04.2013, 22.07.2013, 23.10.2013, 03.02.2014

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	उन बैठकों की आयोजित संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्टे क्टर प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) [वैकल्पिक सदस्य - 1 और सदस्य - 1 - 30.9.2013 से)	2	2
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31.07.2013 तक)	2	1
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) – वैकल्पिक सदस्य	4	3
श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी) (27.12.2013 से)	1	1
श्री एस. वैकटाचलम	4	4
श्री थोमस मैथ्यू	4	3
डॉ. राजीव कुमार	4	-
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3

वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या:

219

उन शिकायतों की संख्या, जिनका समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया गया: शून्य

शून्य

लंबित शिकायतों की संख्या:

शून्य

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

श्री आर. के. अग्रवाल महाप्रबंधक (अनुपालन)

बड़ी राशि (₹1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशि (₹1 करोड़ तथा अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2014 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है जिससे यह समिति प्रणालीगत खामियों, धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने एवं सूचित करने में देरी के कारणों का पता लगा सकेगी और सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रख सकेगी तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय भी शुरू कर सकेगी। इस समिति के आठ सदस्य हैं और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 13.06.2013, 20.08.2013, 03.12.2013 और 11.03.2014 को चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित एससीबीएमएफ की बैठकों तिथि और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 13.06.2013, 20.08.2013, 03.12.2013, 11.03.2014

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	उन बैठकों की आयोजित संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31.07.2013 तक)	1	1
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) – वैकल्पिक सदस्य	4	3
श्रीमती अर्घ्यधी भद्राचार्य, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - (वैकल्पिक सदस्य)	-	1
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (30.09.2013 से)	2	2
श्री एस. वैकटाचलम	4	4
श्री पार्थसारथी अय्यंगर	4	-
श्री थोमस मैथ्यू	4	3
डॉ. राजीव कुमार	4	-
श्री दीपक आई. अमिन	4	2
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	4



बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार लाने के उद्देश्य से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया गया था। इस समिति के आठ सदस्य हैं और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 08.06.2013, 26.08.2013, 07.11.2013 और 03.02.2014 को चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित सीएससीबी की बैठकों तिथि और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 08.06.2013, 26.08.2013, 07.11.2013, 03.02.2014

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	उन बैठकों की आयोजित संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)	4	3
श्री एस. विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) – वैकल्पिक सदस्य	2	1
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	2	3
[वैकल्पिक सदस्य - 1 और सदस्य - 1 - 30.9.2013 से]		
श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी) – वैकल्पिक सदस्य	-	1
श्री एस. वैकटाचलम	4	4
श्री थोमस मैथ्यू	4	2
श्री ज्योति भूषण महापात्र	4	3
श्री एस. के. मुखर्जी	4	3
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	4	3
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (29.08.2013 से)	2	-

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति गठित की गई। समिति ने बैंक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका का निर्वाह किया है। वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) कर दिया गया। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक कार्यनीतिक भूमिका निर्भावी है। समिति को निम्नांकित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं:

- 1) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक कारगर कार्यनीतिक आयोजना प्रणाली अपनाई है।
- 2) यह सुनिश्चित करना है कि संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा के अनुरूप है।
- 3) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश, जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन दर्शाता हो और बजट स्वीकार्य हों।
- 4) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों पर प्रबंधन द्वारा निगरानी करने की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जानेवाली कुल निधियों की निगरानी करना; और
- 5) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन आकलन और व्यवसाय में योगदान (अर्थात् वचनबद्ध मूल्य प्रदान करने) की समीक्षा करना।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित आईटीएससी की बैठकों तिथि और निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 06.06.2013, 16.08.2013, 21.11.2013, 26.02.2014

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	उन बैठकों की आयोजित संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)	4	4
श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (30.09.2013 से)	3	2
श्रीमती अरुंधती भद्राचार्य, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी - (वैकल्पिक सदस्य)	-	1
श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी) – वैकल्पिक सदस्य	1	1
श्री डॉ. सुंदरम्	4	4
श्री एस. वैकटाचलम	4	4
श्री पार्थसरथी अय्यंगर	4	2
श्री दीपक आर्झ. अमिन	4	3



बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 22 मार्च 2007 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड की वसूली निगरानी समिति गठित की गई। समिति में छह सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामित निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान 17.07.2013, 05.11.2013, 15.02.2014 को इस समिति की तीन बैठकें हुईं जिनमें बैंक के अनर्जक आस्ति प्रबंधन की समीक्षा की गई।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र में जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, वहाँ स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2014 को दस स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष चार स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्यविवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक फीस

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई

बैठक फीस भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए ₹10,000/- और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए ₹5,000/- बैठक फीस दी जाती है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

निदेशकों को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत करवाने के क्रम में बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें कीं :

- एक निदेशक ने मुंबई में सेंटर फॉर एडवांस्ड फायरेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग द्वारा 13 एवं 14 मई 2013 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए आयोजित सम्मेलन में सहभागिता की।
- 16 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में आईसीएआई द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के लिए 'बैंकों में प्रभावी अभिशासन – स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका' विषय पर आयोजित पारस्परिक संवाद बैठक में भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक ने सहभागिता की।

वर्ष 2013-14 के दौरान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त वेतन एवं भत्ते

	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष					
श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य (07.10.2013 से 31.03.2014 तक) अध्यक्ष के रूप में	4,64,516.13	4,32,920.97	0.00		8,97,437.10
श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य (02.08.2013 से 6.10.2013 तक) प्रबंध निदेशक के रूप में	1,63,177.41	1,32,003.22	0.00		2,95,180.63
कुल	6,27,693.54	5,64,924.19	0.00		11,92,617.73
श्री प्रतीप चौधरी (भूतपूर्व अध्यक्ष) (01.04.2013 से 30.09.2013 तक)	480000.00	377600.00	600000.00		1457600.00
प्रबंध निदेशक					
श्री हेमंत जी. कान्देक्टर (01.04.2013 से 31.03.2014 तक)	9,60,000.00	8,58,663.60	5,00,000.00		23,18,663.60
श्री ए. कृष्ण कुमार (01.04.2013 से 31.03.2014 तक)	9,60,000.00	8,58,663.60	5,00,000.00		23,18,663.60
श्री एस. विश्वानाथन (01.04.2013 से 31.03.2014 तक)	9,19,590.00	8,23,101.00	2,50,000.00		19,92,691.00
श्री पी. प्रदीप कुमार (27.12.2013 से 31.03.2014 तक)	2,38,677.42	2,14,809.68	0.00		4,53,487.10
श्री दिवाकर गुप्ता (भूतपूर्व प्रबंध निदेशक) (01.04.2013 से 31.07.2013 तक)	3,20,000.00	2,49,600.00	5,00,000.00		10,69,600.00



वार्षिक महासभा में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 की वार्षिक महासभा 21 जून 2013 को आयोजित की गई जिसमें 12 निदेशक उपस्थित थे। इनके नाम हैं: श्री प्रतीप चौधरी, श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, श्री दिवाकर गुप्ता, श्री ए. कृष्ण कुमार, श्री एस. विश्वनाथन, श्री ए. वेंकटाचलम, श्री डी. सुंदरम, श्री पार्थसारथी अच्युतगार, श्री थोमस मैथ्यू, श्री एस.के. मुखर्जी, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह एवं श्री ज्योति भूषण महापात्र। बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2011-12 की वार्षिक महासभा 22 जून 2012 को और वर्ष 2010-11 की 20 जून 2011 को आयोजित की गई। ये तीनों वार्षिक महासभाएं, मुंबई में आयोजित की गई और इन पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए।

प्रकटीकरण

बैंक अपने प्रोटोर्गे, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुबंधियों अथवा संबंधियों, आदि के साथ किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक लेनदेन से असंबद्ध रहा है जो बहुतर स्तर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल हो सकते थे।

बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा पूँजी बाजार से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रयोज्य नियमों और विनियमों का पालन किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा बैंक पर किसी भी प्रकार का दंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विसल ब्लॉअर नीति लागू की गई है और सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी के लिए इसे बैंक के स्टेट बैंक टाइम्स पर उपलब्ध कराया गया है। इससे सेवा नियमों के उल्लंघन में कर्मचारियों के किसी अनैतिक कृत्य व व्यवहार की सूचना दी जा सके। इसमें विसल ब्लॉअर के हित/पहचान को संरक्षण देने का भी प्रावधान है।

बैंक ने स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 की सभी शर्तों को पूरा किया है बशर्ते कि खंड की अपेक्षाएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, उन प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निदेशों का अतिक्रमण नहीं कर रही हों।

निदेशक बोर्ड का गठन, लेखा-परीक्षा समिति का गठन और उसका कोरम, गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति, सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और उनकी फीस के निर्धारण के संबंध में खण्ड 49 की सांविधिक अपेक्षाएं बैंक पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में इनके लिए अलग से प्रावधान हैं।

शेयरधारकों के आवास पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय निष्पादन तथा महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षेप में प्रेषित करने को छोड़कर बैंक ने खण्ड 49 की सभी गैर-सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

संचार माध्यम

बैंक की यह दृढ़ मान्यता है कि सभी हितधारकों को बैंक के कार्यकलाप, निष्पादन और नए उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष 2013-14 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और तिमाही परिणाम देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट (www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com) पर भी प्रदर्शित किया गया। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। बैंक की वेबसाइट पर अन्य सामग्री के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी समाचार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उत्पाद-प्रस्तावों का व्योरा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक एवं अर्ध-वार्षिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें बैंक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति तथा मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे बैंक के कार्यनिष्पादन पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा

: दिनांक : 03.07.2014, समय : अपराह्न 3.00 बजे
स्थान : वाई. बी. चक्खाण सभागृह, मुंबई

: 01.04.2013 से 31.03.2014

: 31-05-2014 से 04.06.2014

: 02.04.2014

: 19.06.2014

: भारतीय स्टेट बैंक के लाभांशों का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी किया जा रहा है।

: मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीबद्ध हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।

: स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई)

सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)

: भौतिक रूप के शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निर्धारित समयावधि में शेयरधारकों को लौटाया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार त्रैमासिक शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।

शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है

स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी

शेयर हस्तांतरण व्यवस्था



रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम
तथा उनकी यूनिट का पता

बोर्ड फोन नंबर

सीधे नंबर

ई-मेल पता
फैक्स

पत्र-व्यवहार के लिए पता

टेलीफोन
फैक्स
ई-मेल पता

- : मेसर्स डेटामेटिक्स फिनैशल सर्विसेस लिमिटेड
- : प्लॉट बी-5, और पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093.
- : 022-6671 2151 से 56 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4.30 बजे तक)
- : 022-6671 2198, 022-6671 2199, 022-6671 2201 से 6671 2203 तक
- : sbi_eq@dfssl.com,
- : (022) 6671 2204
- : भारतीय स्टेट बैंक,
शेयर एवं बांड विभाग, कारपोरेट केंद्र, 14 वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
- : (022) 22740841 से 22740848
- : (022) 22855348
- : gm.snb@sbi.co.in

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजी संवर्धन

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजी संवर्धन करने पर बैंक ने खासतौर से ध्यान दिया। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के अनुमोदनों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित इक्विटी पूँजी जुटाई:

- (i) दिनांक 02.01.2014 को भारत सरकार को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत प्रति शेयर ₹1,772.74 (एक हजार सात सौ बहतर रुपये और चौहत्तर पैसे) के प्रीमियम के साथ प्रति शेयर ₹1,782.74 (एक हजार सात सौ बयासी रुपये और चौहत्तर पैसे) के हिसाब से ₹1999,99,98,496.90 (एक हजार नौ सौ निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख अट्ठानवे हजार चार सौ छियानवे रुपये नब्बे पैसे मात्र) की कुल राशि के 1,12,18,685 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए। आबंटित किए गए शेयरों को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 78(1) के अनुसार दिनांक 14 जनवरी 2017 तक अवरुद्ध अवधि के अंतर्गत रखा गया है।
- (ii) दिनांक 03.02.2014 को पात्र संस्थागत स्थानापन्न के अंतर्गत प्रति शेयर ₹1,555.00 के प्रीमियम के साथ प्रति शेयर ₹10/- के ₹1,565.00 के निर्गम मूल्य, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार ₹1,629.35 की न्यूनतम दर पर 3.95% की बढ़ा दर से निकाला गया है, ₹8031,64,82,340 (रुपये आठ हजार इकतीस करोड़ चौंसठ लाख बयासी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) की कुल राशि के 5,13,20,436 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।

बैंक की प्री एवं पोस्ट क्यूआईपी शेयरधारिता की स्थिति

शेयरधारक की श्रेणी	प्री-क्यूआईपी	पोस्ट-क्यूआईपी
कुल बकाया शेयर	69,52,52,656	74,65,73,092
भारत सरकार की शेयरधारिता		
शेयरों की संख्या	43,74,59,825	43,74,59,825
प्रतिशत	62.92	58.60
जनता की शेयरधारिता का प्रतिशत	37.08	41.40


अधिमानी निर्गम और पात्र संस्थागत स्थानापन्न (क्यूआईपी) के अनुसार आबंटित इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है और ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजारों (बीएसई/एनएसई) द्वारा स्वीकार किया गया है। इक्विटी संवर्धन के बाद (अधिमानी निर्गम/क्यूआईपी) के बाद ₹5,000 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी की तुलना में बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹746.57 करोड़ है।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि बैंक ने निजी स्थानापन्न के रूप में 9.69% की वार्षिक आधार पर देय कूपन दर से दिनांक 02.01.2014 से ₹2,000 करोड़ की राशि के बेसल III अनुपालक टियर 2 बाण्ड निर्गमित और आबंटित किए हैं। ये बाण्ड 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इस लिखत पर केयर और आईसीआरए दोनों ने 'AAA' रेटिंग दी है।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

बैंक के पास 31.03.2014 को 79,36,777 जीडीआर से संबंधित 1,58,73,554 शेयर थे।

वर्ष 2013-14 के दौरान जीडीआर धारिता में उतार-चढ़ाव (शेयर लाख में)





दावारहित शेयर

शेयरधारक की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,064	25,292
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	192
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	8	192
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,056	25,100

विगत वर्षों में लाभांश: भारतीय स्टेट बैंक को अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर लाभांश का भुगतान करने का गौरव प्राप्त है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2014 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूँजीकरण भार 3.30% और एनएसई निफ्टी में 2.64% था।

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े (बंद होने के समय मूल्य)

माह	बीएसई		एनएसई		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-13	2,331.10	1,987.10	2,334.55	1,988.25	86.10	73.70
मई-13	2,424.60	2,047.70	2,419.35	2,046.75	87.82	72.32
जून-13	2,069.70	1,900.70	2,069.85	1,900.05	72.55	63.00
जुलाई-13	2,015.60	1,709.85	2,015.60	1,708.40	68.20	56.22
अगस्त-13	1,713.55	1,498.20	1,716.10	1,497.85	56.25	43.90
सितंबर-13	1,808.75	1,475.30	1,807.00	1,475.65	57.98	43.71
अक्टूबर-13	1,795.50	1,611.65	1,796.75	1,607.55	58.32	51.95
नवंबर-13	1,886.09	1,675.45	1,886.00	1,672.95	60.45	52.52
दिसंबर-13	1,889.20	1,718.95	1,890.85	1,718.30	61.55	55.30
जनवरी-14	1,765.30	1,517.55	1,765.05	1,516.60	57.15	48.56
फरवरी-14	1,532.70	1,473.40	1,533.25	1,475.10	49.34	47.66
मार्च-14	1,918.30	1,518.50	1,917.70	1,516.35	63.60	49.00


प्रति शेयर बही मूल्य : ₹1503.43

आर्थिक मूल्य वर्धित (ईवीए) : ₹4668 करोड़

31.03.2014 को शेयरधारिता का संवितरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.60
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कारपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निष्केपागार रसीदें)	12.04
3	स्पूचुअल फंड और यूटीआई	3.78
4	निजी कारपोरेट निकाय	2.87
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ, आदि	16.79
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	5.92
	कुल	100.00

पिछले 5 वर्षों के दौरान जीडीआर और एफआईआई में उतार-चढ़ाव (शेयरों की संख्या लाख में)



बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल इक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	58.60
2	भारतीय जीवन बीमा निगम - (वित्तीय संस्था)	14.99
3	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	2.13
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - (स्पूचुअल फंड)	1.65
5	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	1.00
6	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्था)	0.63
7	आईसीआईआई प्रूडेंशियल स्पूचुअल फंड (स्पूचुअल फंड)	0.59
8	आबूधाबी इवेस्टमेंट अथॉरिटी (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.57
9	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी के. लि. (स्पूचुअल फंड)	0.43
10	मॉर्गन स्टेनली एशिया (सिंगापुर) पीटीई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.35



अनुलग्नक ।

दिनांक 31 मार्च 2014 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री एस. वैंकटाचलम

(जन्म-तारीख: 8 नवंबर 1944)

श्री एस. वैंकटाचलम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा 25 जून 2011 से तीन वर्षों के लिए पुनर्निर्वाचित निदेशक हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो-सदस्य हैं और सिटी ग्रुप में तथा सिटीबैंक एनए इंडिया आर्गेनाइजेशन में वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग में विभिन्न पदों पर 31 वर्ष की अवधि तक नियुक्त रहे।

श्री डी. सुंदरम

(जन्म-तारीख: 16 अप्रैल 1953)

श्री डी. सुंदरम भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा 25 जून 2011 से तीन वर्षों के लिए पुनर्निर्वाचित निदेशक हैं। वे टीवीएस कैपिटल फंड्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे। वे व्यावसायिक योग्यता प्राप्त एकाउंटेंट (एफआइसीडब्ल्यूए) हैं और वित्त तथा लेखांकन के क्षेत्र में बृहद् अनुभव रखते हैं। इन्होंने हिन्दुस्तान यूनीलीवर समूह में उपाध्यक्ष एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, कारपोरेट एकाउंटेंट, वाणिज्यिक प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष, वित्त सदस्य, टॉमको इंटिग्रेशन टीम, और ब्रुक बॉड लिप्टन इंडिया लि. में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे यूनीलीवर लि. लंदन में अफ्रीका एवं दृढ़-झूँझूल अ० के वाणिज्यिक अधिकारी और केन्द्रीय एवं मध्य-पूर्व समूह के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

श्री पार्थसारथी अच्यंगार

(जन्म-तारीख: 2 जून 1961)

श्री पार्थसारथी अच्यंगार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 25 जून 2011 से तीन वर्ष के लिए शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री अच्यंगार यूएसए से इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं। इन्हें यूएस और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं सलाहकार संस्था गार्टनर के उपाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित विश्लेषक हैं और संप्रति भारत में इसके क्षेत्रीय अनुसंधान निवेशक के पद पर कार्यरत हैं।

श्री थॉमस मैथ्यू

(जन्म-तारीख: 20 फरवरी 1951)

श्री थॉमस मैथ्यू भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत 13 जनवरी 2013 से शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक हैं। श्री मैथ्यू भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो-सदस्य हैं और उन्हें देशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा का 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री ज्योति भूषण महापात्र

(जन्म-तारीख: 23 सितंबर 1957)

श्री ज्योति भूषण महापात्र भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग क) के अंतर्गत 21 नवंबर 2011 से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित वर्कमेन कर्मचारी निदेशक हैं।

श्री एस. के. मुखर्जी

(जन्म-तारीख: 27 नवंबर 1955)

श्री एस.के. मुखर्जी, भारतीय स्टेट बैंक की धारा 19 (ग ख) के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2012 से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक हैं।

डॉ. राजीव कुमार

(जन्म-तारीख: 6 जुलाई 1951)

डॉ. राजीव कुमार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 6 अगस्त 2012 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. कुमार ऑफ्सफर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल डिग्रीधारक, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और वे पहले फिक्की के महानिदेशक, आईसीआरआईआर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं और वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुके हैं। डॉ. कुमार संप्रति सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं। में सीनियर फेलो हैं।



श्री दीपक आई. अमिन

(जन्म-तारीख: 20 अप्रैल 1966)

श्री दीपक अमिन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 जनवरी 2012 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएस डिग्री-प्राप्त हैं। श्री अमिन कोविलिक्स, इंक सीटल व भारत की अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिगृहीत) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमिन वीजंगल, इंक, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्क्रास्ट्रक्चर कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं जिसे स्ट्रीमसर्व, इंक ने अधिगृहीत किया था। श्री अमिन ने माइक्रोसाफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसाफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। वे माइक्रोसाफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं। श्री अमिन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनुस की टैक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए बेहतर वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समाधान प्रदान करती है।

श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह

(जन्म-तारीख: 16 सितंबर 1963)

श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री सिंह को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एसएमई व्यवसाय में अनुभव है। वे 24.12.2008 से 08.12.2010 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक थे।

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

(जन्म-तारीख: 15 जनवरी 1959)

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 24 सितंबर 2012 से तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चतुर्वेदी पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्हें वित्त एवं लेखा, कराधान और कारपोरेट-विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। श्री चतुर्वेदी (27 दिसंबर 2008 से 26 दिसंबर 2011 तक) तीन वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं।

श्री राजीव टकरू

(जन्म-तारीख: 26 सितंबर 1955)

श्री राजीव टकरू भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ड) के अंतर्गत 4 फरवरी 2013 से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री राजीव टकरू वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म-तारीख: 28 अक्टूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2014 को बोर्ड-निदेशकों/बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशकों के संबंध में विवरण जो बैंक द्वारा अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
1	श्रीमती अरुधती भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.10.2013	अध्यक्ष : 14 निदेशक : 02
2	श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर	प्रबंध निदेशक एम-1, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 01



क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
3.	श्री ए. कृष्ण कुमार	प्रबंध निदेशक एम-2, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	07.04.2011	निदेशक : 06 समिति सदस्य : 04
4.	श्री एस. विश्वनाथन	प्रबंध निदेशक सी-11, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.10.2012	निदेशक : 16 समिति सदस्य : 06
5.	श्री पी. प्रदीप कुमार	प्रबंध निदेशक डी-8, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	27.12.2013	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
6.	श्री एस. वेंकटाचलम	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक बिल्डिंग बी-1, फ्लैट 1-डी (प्रथम तल) हावर्ड हाइट्स, एनए सावंत मार्ग, कोलाबा, मुंबई-400 005	25.06.2011	निदेशक : 04 समिति के अध्यक्ष : 02 समिति के सदस्य : 02
7.	श्री डी. सुंदरम	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीवीएस केपिटल फंड्स लिमिटेड, आईएल एण्ड एफएस फाइंैशियल सेंटर, क्वाडरेट बी, द्वितीय तल, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	25.06.2011	निदेशक : 9 समिति के अध्यक्ष : 03 समिति के सदस्य : 01
8.	श्री पार्थसारथी अच्युंगार	क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक, गार्टनर इंडिया, 133 नेशनल सोसाइटी बनेर रोड, औंध, पुणे-411007	25.06.2011	निदेशक : 02
9.	श्री थॉमस मैथ्यू	परामर्शदाता ए 801, 96, वायवेरिया हिन्दुस्तान मिल्स कम्पाउंड, डा. साने गुरुजी मार्ग, सात रास्ता, महालक्ष्मी, मुंबई-400 011	13.01.2013	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
10.	श्री ज्योति भूषण महापात्र वर्कमेन कर्मचारी निदेशक	विशेष सहायक भारतीय स्टेट बैंक कलेक्टरेट कम्पाउन्ड कटक शाखा कटक-753 002	21.11.2011	निदेशक : 01
11.	श्री एस.के. मुखर्जी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक इकाई, भंगागढ़, गुवाहाटी-781 005	04.10.2012	निदेशक : 01
12.	डॉ. राजीव कुमार	अर्थशास्त्री सी-215 भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 017	06.08.2012	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
13.	श्री दीपक आई. अमिन	परामर्शदाता सी-72, आइकोन, डीएलएफ फेज 5, गुडगांव-122 002	24.01.2012	निदेशक : 02
14.	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	कृषि एवं व्यवसाय आरआर कोठी, कैनाल रोड रायबरेली-229001 (उ.प्र.)	24.09.2012	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01



क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
15	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	द्वारा टी एन चतुर्वेदी एंड कंपनी, 406, चिरंजीव टॉवर, 43 नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019	29.08.2013	निदेशक : 01
16.	श्री राजीव टकरा भारत सरकार के नामिती	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	04.02.2013	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 01
17.	श्री ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती	उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 01

(v) शेयर बाजार में सूचीकरण करार के खंड 49 के पैरा 1 (सी) (ii) का विधिवत अनुपालन करते हुए केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है।

अनुलग्नक II ए

बैंक/ उन अन्य कंपनियों की कुल संख्या जिनमें 31.03.2014 को बोर्ड-निदेशक/बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं (v) केवल लेखा-परीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है)

1. श्रीमती असुंधरी भट्टाचार्य

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टरीज लि.	अध्यक्ष
8	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	अध्यक्ष
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
15	भारतीय नियांत-आयात बैंक	निदेशक
16	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	निदेशक



2. श्री हेमंत जी. कान्द्रेक्टर

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति (यों) का/के नामवा
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
2	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	निदेशक	-
3	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	निदेशक	-
4	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशास)	निदेशक	-
5	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	निदेशक	-

3. श्री ए. कृष्ण कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य १
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
3	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
4	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
5	एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लि.	निदेशक	-
6	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	-

4. श्री एस. विश्वनाथन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य २
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	शेयरधारक/बोर्ड की निवेशक शिकायत निवारण समिति - सदस्य
2	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य
3	एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति- सदस्य
4	एसबीआई कैप्स वॉर्चर्स लि.	निदेशक	-
5	एसबीआई कैप यूके लिमिटेड	निदेशक	-
6	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	
7	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
8	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – सदस्य
10	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	
11	एसबीआई पैशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – सदस्य
12	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	
13	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	
14	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	
15	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	
16	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	



5. श्री पी. प्रदीप कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति - सदस्य

6. श्री एस. वेंकटाचलम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- अध्यक्ष शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-अध्यक्ष
2	ओरैकल फिनैंशल सर्विसेस सॉफ्टवेयर लि.	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति-सदस्य
3	ईक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	-
4	कैनरा रोबोको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	निदेशक	-

7. श्री डी. सुंदरम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-अध्यक्ष
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
3	टीवीएस कैपिटल फंड्स लि.	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-
4	टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-अध्यक्ष
5	ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-अध्यक्ष
6	नाइन डाट नाइन मीडियावर्क्स प्रा. लि.	निदेशक	-
7	मेडफोर्ट हॉस्पिटल्स प्रा. लि.	निदेशक	-
8	मैक्सीविज़न लेज़र सेंटर प्रा. लि.	निदेशक	-
9	वैस्टलैंड लिमिटेड	निदेशक	-

8. श्री पार्थसारथी अच्यंगार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-
2	इनफो टेक्नोलॉजी एडवाइजर (आई) प्रा. लि.	निदेशक	-

9. श्री थॉमस मैथ्यू

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य



10. श्री ज्योति भूषण महापात्र

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

11. श्री एम.के. मुखर्जी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

12. डॉ. राजीव कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य

13. श्री दीपक आई. अमिन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य वि
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-
2	रेडियन इंडियन इंजिनियरिंग प्रा. लि.	निदेशक	-

14. श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति- सदस्य

15. श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	

16. श्री राजीव टकर

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति-सदस्य
2	भारतीय रिजर्व बैंक	निदेशक	-
3	भारतीय जीवन बीमा निगम	निदेशक	-
4	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	निदेशक	-
5	भारतीय नियांत - आयात बैंक	निदेशक	-

17. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय रिजर्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य



अनुलग्नक - III

31.03.2014 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य	200
2	श्री हेमंत जी. कॉन्ट्रैक्टर	446
3	श्री ए. कृष्ण कुमार	69
4	श्री एस. विश्वनाथन	704
5	श्री पी. प्रदीप कुमार	325
6	श्री एस. वेंकटाचलम	500
7	श्री डी. सुंदरम	2640
8	श्री पार्थसारथी अच्युंगार	500
9	श्री थॉमस मैथ्यू	500
10	श्री ज्योति भूषण महापात्र	60
11	श्री एस.के. मुखर्जी	80
12	डॉ. राजीव कुमार	निरंक
13	श्री दीपक आई. अमिन	निरंक
14	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	निरंक
15	श्री विभुवन नाथ चतुर्वेदी	200
16	श्री गुरदयाल सिंह संधु	निरंक
17	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	निरंक

अनुलग्नक - IV

वर्ष 2013-14 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री एस. वेंकटाचलम	1,20,000	3,95,000	5,15,000
2	श्री डी. सुंदरम	80,000	2,35,000	3,15,000
3	श्री पार्थसारथी अच्युंगार	50,000	40,000	90,000
4	श्री थॉमस मैथ्यू	1,10,000	3,05,000	4,15,000
5	श्री ज्योति बी. महापात्रा	1,10,000	60,000	1,70,000
6	श्री एस. के. मुखर्जी	1,10,000	65,000	1,75,000
7	डॉ. राजीव कुमार	70,000	45,000	1,15,000
8	श्री दीपक आई. अमिन	90,000	1,65,000	2,55,000
9	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	1,20,000	1,60,000	2,80,000
10	श्री विभुवन नाथ चतुर्वेदी	40,000	10,000	50,000

अनुलग्नक - V

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2013-14) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2013-14 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनांक: 12 अप्रैल 2014

अरुंधती भट्टाचार्य
अध्यक्ष



एस. वेंकटराम एंड कं.
सनदी लेखाकार

कारपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक

हमने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक ('इस बैंक') द्वारा कारपोरेट अभिशासन की उन शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो भारत में शेयर-बाजारों के साथ बैंक के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाइ गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी गय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण-करार में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम सूचित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत-निवारण समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एस. वेंकटराम एंड कं.
सनदी लेखाकार

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार सदस्यता सं. 002161
फर्म पंजीकरण सं. 004656एस

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 23 मई 2014